

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11801/2017

राजू लाल नट पुत्र श्री लाड जी नट, निवासी कनैला चौक, चंदर वारा, तहसील- आनंद पुरी,
बांसवाड़ा राज.।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक प्रारंभिक, शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, जिला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग, प्रतापगढ़ राज.
3. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ राज., शिक्षा।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री दर्शन जैन
प्रतिवादीगण के लिए : श्री राज सिंह भाटी एवं
श्री शैलेन्द्र कुमार,
श्री ऋतु राज सिंह के लिए

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

09/01/2025

1. याचिकाकर्ता एतद्वारा प्रतिवादी विभाग को एक उपयुक्त आदेश पारित करने और/या एक रिट जारी करने हेतु निर्देश चाहता है कि उसे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 25 के राजस्थान निर्णय (2) के अनुसार उसकी पूर्व सेवा अवधि अर्थात्
-

22.02.2012 से 23.05.2017 तक के लाभ समस्त पारिणामिक लाभों के साथ प्रदान किए जाए।

2. याचिकाकर्ता को पूर्व में आदेश दिनांक 21.02.2012 के माध्यम से कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। उसने 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली थी और 22.02.2014 से कांस्टेबल के पद पर स्थायी कर दिया गया था।

3. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए और याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण इसके लिए आवेदन किया। उसका चयन उक्त पद हेतु किया गया और उसे आदेश दिनांक 15.05.2017 द्वारा तदनुसार नियुक्त किया गया। चूँकि उसका चयन शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए हुआ था और वह कार्यभार ग्रहण करना चाहता था, इसलिए उसने कांस्टेबल के पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसे आदेश दिनांक 23.05.2017 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसने उसी तिथि, अर्थात् 23.05.2017 को शिक्षक ग्रेड III के पद पर कार्यभार ग्रहण किया, अतः सेवा में कोई व्यवधान नहीं हुआ।

4. कांस्टेबल के रूप में कार्य करते समय, याचिकाकर्ता का वेतनमान 5200-20200 रुपये निर्धारित था और उसे 10450 रुपये वेतन मिल रहा था। चूँकि शिक्षक ग्रेड-III के पद के लिए वेतनमान समान था, इसलिए उसे पूर्व सेवा का लाभ देते हुए समान वेतन और अन्य सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार था। उसे उक्त लाभ से वंचित किया गया। उसने सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया और विधिक नोटिस दिनांक 13.06.2017 भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए, यह याचिका।

5. प्रतिवादीगण द्वारा प्रत्युत्तर में अपनाया गया अभिमत यह है कि उक्त नियमों के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सेवा या पद से त्यागपत्र देता है, तो उससे उसकी सेवा का समपहरण हो जाता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने त्यागपत्र दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और चूँकि उसने पूर्व विभाग का कोई कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए वह पूर्व सेवाओं का लाभ पाने का हकदार नहीं है।
6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिपक्षी तर्कों को सुना है तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
7. उक्त नियमों का नियम 25, जो कि प्रासंगिक है, नीचे पुनरुद्धृत किया जा रहा है:-

"25. त्यागपत्र पर सेवा का समपहरण-

(1) किसी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर पिछली सेवा का समपहरण हो जाता है।

(2) यदि त्यागपत्र, विधिवत अनुमति प्राप्त कर, सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति चाहे अस्थायी हो या स्थायी, जहाँ सेवा अर्हक हो, ग्रहण करने के उद्देश्य से दिया गया हो, तो ऐसा त्यागपत्र पूर्व सेवा के समपहरण का कारण नहीं होगा।

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, यदि दोनों नियुक्तियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों पर होने के कारण सेवा में जो अंतराल उत्पन्न होता है, वह स्थानांतरण के नियमों के अनुसार अनुमेय जॉइनिंग समय से अधिक नहीं है, तो उस अंतराल को कार्यमुक्ति की तिथि पर सरकारी सेवक को देय किसी भी प्रकार के अवकाश प्रदान कर आच्छादित किया जाएगा; और जिस सीमा तक वह अवधि देय अवकाश से आच्छादित नहीं होती है, उस सीमा तक उसे औपचारिक रूप से क्षम्य किया जाएगा।"

8. प्रत्युत्तर का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त नियम की स्वीकार्यता और प्रयोज्यता विवादित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा कांस्टेबल के रूप में की गई अपनी पूर्व सेवा के आधार पर वेतन संरक्षण की मांग को लालफीताशाही में लिप्त होने
-

के कारण अस्वीकार किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से यह इस आधार पर है कि उसने अपना अनुरोध उचित माध्यम से प्रेषित नहीं किया था। जहाँ तक उसकी पूर्व सेवा का प्रश्न है, वह भी निर्विवाद है।


9. तदनुसार, याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः ऐसा आदेश दिया जाता है।
10. याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारण उसकी पूर्व सेवा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रतिवादीगण से संपर्क करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
11. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निस्तारित समझे जाएंगे।

(अरुण मोंगा), जे

74-धनंजय/एसकेएम/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
